



2026:AHC:58860

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 9832 वर्ष 2026

विमलेश पटेल एवं 3 अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार सिंह, प्रतिभा सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 82

माननीय न्यायमूर्ति पद्म नारायण

मिश्रा,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदकगण द्वारा दिनांक 31.05.2023 को पारित विवादित आदेश को निरस्त करने हेतु दायर किया गया है, जो सत्र वाद संख्या 841 वर्ष 2014 में पारित किया गया, जो कि केस क्राइम संख्या 165 वर्ष 2011 से उत्पन्न हुआ है, धारा 147, 148, 149, 307 एवं 506 भारतीय दंड संहिता, थाना घूरपुर, जनपद इलाहाबाद से संबंधित है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दिनांक 31.05.2023 को आवेदकगण के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकगण निरंतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि दिनांक 31.05.2023 को नियत तिथि की उन्हें जानकारी नहीं थी, अतः वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांक 31.05.2023 के आदेश से पूर्व आवेदकगण के विरुद्ध कोई आरोप निर्धारित नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आदेश-पत्र दिनांक 31.05.2023 के साधारण अवलोकन से प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने केवल यह उल्लेख किया है कि द्वारिका प्रसाद, विमलेश, प्रमोद पटेल, सुरेश कुमार यादव, लाल बहादुर सोनकर तथा दयाशंकर यादव अभियुक्त हैं, जबकि उनके विरुद्ध आरोप निर्धारित नहीं किए गए हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया। अंततः उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना यांत्रिक तरीके से पारित किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि संबंधित न्यायालय ने दिनांक 31.05.2023 को विवादित आदेश न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना अत्यंत शीघ्रता में तथा विधि के स्थापित सिद्धांतों की पूर्ण उपेक्षा करते हुए पारित किया है। आवेदकगण के विरुद्ध पारित विवादित आदेश में प्रथम दृष्टया गैर-जमानती वारंट जारी करने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेखित वस्तुनिष्ठ संतुष्टि परिलक्षित नहीं होती, जबकि अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के अन्य उपायों का सहारा नहीं लिया गया। इस चरण पर बी.एन.एस.एस. की धारा 90 पर चर्चा करना आवश्यक है। बी.एन.एस.एस. की धारा 90 निम्नवत् है :-

"धारा 90 - समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी करना जहाँ किसी भी मामले में इस संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति की उपस्थिति हेतु समन जारी करने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त है, वहाँ न्यायालय लिखित रूप में कारण अंकित करते हुए उसकी गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी कर सकता है—

(क) यदि ऐसे समन के जारी होने से पूर्व, अथवा समन जारी होने के पश्चात किन्तु उसकी उपस्थिति के लिए नियत समय से पूर्व, न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा; या

(ख) यदि नियत समय पर वह उपस्थित नहीं होता है और यह सिद्ध हो जाता है कि समन विधिवत् समय रहते तामील किया गया था ताकि वह उसके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुसार उपस्थित हो सके तथा इस विफलता के लिए कोई युक्तिसंगत कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।”

5. उपर्युक्त धारा के साधारण अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने की सामान्य प्रक्रिया से केवल उसी स्थिति में विचलन किया जा सकता है जब न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा। विवादित आदेश में उपर्युक्त आवश्यकताओं के अनुपालन का कोई उल्लेख नहीं है। गैर-जमानती वारंट जारी करना एक गंभीर विषय है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। अतः वारंट जारी करने की शक्ति, चाहे वह जमानती हो या गैर-जमानती, सावधानीपूर्वक प्रयोग की जानी चाहिए और मनमाने ढंग से नहीं। तथापि, न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि उनका विवेक मुख्यतः व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में बाधा उत्पन्न होने से रोकने पर केंद्रित होता है। गैर-जमानती वारंट एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक कार्रवाई है, जिसे अंतिम उपाय के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए, जब किसी साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के अन्य साधन विफल हो जाएँ। वारंट जारी करने से पूर्व न्यायाधीश साक्षी की विश्वसनीयता, उसके साक्ष्य के महत्व, मामले से उसकी प्रासंगिकता तथा क्या कोई ऐसी शमनकारी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण साक्षी सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सका, जैसे कारकों पर विचार करता है।

6. सर्वोच्च न्यायालय ने **इंदर मोहन गोस्वामी एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य एवं अन्य**, जो (2007) 12 SCC 1 में प्रतिवेदित है, के मामले में यह अवलोकन किया है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि किस प्रकार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नवत् उद्धृत किए जा रहे हैं :-

"गैर-जमानती वारंट कब जारी किया जाना चाहिए

53. गैर-जमानती वारंट किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तब जारी किया जाना चाहिए, जब समन या जमानती वारंट से अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने की संभावना न हो। यह निम्न परिस्थितियों में हो सकता है :-

जब यह विश्वास करने का युक्तिसंगत आधार हो कि व्यक्ति स्वेच्छा से न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा; या

जब पुलिस प्राधिकारी उस व्यक्ति को समन की तामील हेतु खोज पाने में असमर्थ हों; या

जब यह माना जाए कि यदि व्यक्ति को तत्काल अभिरक्षा में न लिया जाए तो वह किसी को नुकसान पहुँचा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



54. जहाँ तक संभव हो, यदि न्यायालय की यह राय हो कि समन से अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है, तो समन या जमानती वारंट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वारंट, चाहे जमानती हो या गैर-जमानती, तथ्यों की समुचित जांच तथा न्यायिक मस्तिष्क के पूर्ण प्रयोग के बिना कभी भी जारी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वारंट जारी होने के अत्यंत गंभीर परिणाम एवं प्रभाव होते हैं। न्यायालय को यह भी सावधानीपूर्वक परीक्षण करना चाहिए कि आपराधिक परिवाद या प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दायर तो नहीं की गई है।

55. परिवाद मामलों में, प्रथम दृष्टया न्यायालय को परिवाद की प्रति सहित समन जारी करने का निर्देश देना चाहिए। यदि अभियुक्त समन से बचने का प्रयास करता प्रतीत हो, तो दूसरी अवस्था में न्यायालय को जमानती वारंट जारी करना चाहिए। तीसरी अवस्था में, जब न्यायालय पूर्णतः संतुष्ट हो जाए कि अभियुक्त जानबूझकर न्यायालय की कार्यवाही से बच रहा है, तभी गैर-जमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है, अतः हम न्यायालयों को प्रथम और द्वितीय अवस्था में गैर-जमानती वारंट जारी करने से विरत रहने की चेतावनी देते हैं।

56. यह शक्ति विवेकाधीन है, अतः इसका प्रयोग अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ न्यायोचित ढंग से किया जाना चाहिए। वारंट जारी करने से पूर्व न्यायालय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक हित के



मध्य उचित संतुलन स्थापित करना चाहिए। वारंट जारी करने के लिए कोई कठोर नियम नहीं हो सकता, किन्तु सामान्यतः जब तक अभियुक्त पर किसी जघन्य अपराध का आरोप न हो तथा यह आशंका न हो कि वह साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा, उसे नष्ट करेगा या विधि की प्रक्रिया से बचने का प्रयास करेगा, तब तक गैर-जमानती वारंट जारी करने से बचा जाना चाहिए।

57. गैर-जमानती वारंट जारी करते समय न्यायालय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जनता एवं राज्य के हित के मध्य उचित संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

7. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने तथा न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है **(हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 Supp (1) SCC 335)** वर्तमान प्रकरण धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उच्च न्यायालय में निहित अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग हेतु उपयुक्त मामला है।
8. सत्र वाद संख्या 841 वर्ष 2014 में पारित विवादित आदेश दिनांक 31.05.2023, जो केस क्राइम संख्या 165 वर्ष 2011, धारा 147, 148, 149, 307 एवं 506 भारतीय दंड संहिता, थाना घूरपुर, जनपद इलाहाबाद से उत्पन्न हुआ है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। संबंधित विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त अवलोकनों के आलोक में नया आदेश पारित करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक : 19 मार्च, 2026

इसरा

(पद्म नारायण मिश्रा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।